बेलसोनिका 'ठेका मज़दूर' झेल रहे हैं भीषण शोषण

क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा

'लखानी मज़दूर संघर्ष समिति' तथा 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा, फरीदाबाद' के बैनर तले, फ़रीदाबाद के सैकड़ों मज़दूरों ने, 21 मई को शाम 6 बजे, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर 24 में, 'बेल्सोनिका ऑटो कॉम्पोनेन्ट एम्प्लाइज यूनियन, मानेसर' के संघर्षरत मज़दूरों के समर्थन में, अपनी वर्गीय प्रतिबद्धता और सॉलिडेरिटी रेखांकित करते हुए, एक मज़दूर आक्रोश सभा आयोजित की, जिसमें लखानी मज़दूरों समेत, दूसरे मज़दूरों और मज़दूरों से सहानुभूति रखने वाले, इंसाफ पसंद, जागरूक नागरिकों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। अंत में, ज़ोरदार नारों के बीच, 'मालिक-पुलिस-श्रम विभाग-सरकार गठजोड़' रूपी दानव का पुतला भी फूंका गया।

मानेसर स्थित, मारुती-सुज़ुकी की एक वेंडर कंपनी, 'बेलसोनिका ऑटो कॉम्पोनेन्ट इंडिया लिमिटेड' में कुल 1400 मज़दूर हैं जिनमें 693 स्थायी, 120 पुराने ठेका मज़दूर जो कई साल से काम कर रहे हैं, और लगभग 600 अपरेंटिस तथा नीमट्रेनी मज़दूर हैं। बेलसोनिका ऑटो कॉम्पोनेन्ट कर्मचारी यूनियन, सितम्बर 2022 से आन्दोलनरत है क्योंकि ये कंपनी, अनेक कंपनियों की तरह, पिछले दो वर्षों से 'छिपी छटनी' की कुनीति पर चल रही है। कंपनी प्रबंधन, अब तक, कुल 17 मज़दूरों को बरखास्त तथा 13 को सस्पेंड कर चुका है। मज़दूर यूनियन का क़सूर सिर्फ़ ये है कि उसने अपने साथी, ठेका मज़दूरों को भी इंसान समझा। श्रम अधिकारों पर उन मज़दूरों का भी हक है, यह समझते हुए, 4 ऐसे मज़दूरों को, जो कई साल से लगातार, ठेका मज़दूर की तरह काम कर रहे हैं, अपनी यूनियन की सदस्यता प्रदान की। कंपनी ने, यूनियन सदस्य बने 3 मज़दूरों को बर्खास्त कर दिया। साथ ही, 18 अप्रैल को और 14 मज़दूरों को नोकरी से बर्खास्त कर दिया। साथ ही, यूनियन के तीन पदाधिकारियों, अध्यक्ष कॉमरेड मोहिंदर कपूर, महासचिव कॉमरेड अजीत सिंह तथा संगठन सचिव कॉमरेड सुनील कुमार सहित 13 को सस्पेंड कर दिया। ये उसके बाद हुआ, जब 3 मार्च से सहायक श्रमायुक्त की मध्यस्थता में, यूनियन और मैनेजमेंट की बीच, वार्ताएं चल रही थीं, तथा सहायक श्रमायुक्त तथा सहायक जिला अधिकारी यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी कर चुके थे।

मज़दूर सभा में बोलते हुए, क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा के अध्यक्ष, कॉमरेड नरेश तथा महासचिव, कॉमरेड सत्यवीर सिंह ने सबसे पहले, पिछले साल डी सी गुडगांव कार्यालय पर हुई मारुति के, अदालत द्वारा बेक़सूर ठहराए गए लेकिन फिर भी काम पर ना लिए गए, बरखास्त मज़दूरों की बहाली के आन्दोलन को याद किया जिसमें वे मौजूद थे। उस सभा में, गरमाहट उस वक्त चरम पर पहुंची थी, जब, 'बेलसोनिका ऑटो कंपोनेंट्स एम्प्लाइज यूनियन' के नेतृत्व में, कई सौ मज़दूर हाथ में लाल झंडे लहराते, लाल सेना की तरह क़तारबद्ध होकर, सभा में दाखिल हुए थे। उनका अनुशासन; इंसाफ़ की लड़ाई में शामिल होने के उनके दृढ निश्चय और शिद्दत का परिचय दे रहा था। सभा में उपस्थित मज़दूर कार्यकर्ताओं ने खड़े होकर और ज़ोरदार नारों से उनका स्वागत किया था।

मौजूदा आन्दोलन की शुरुआत, सालों से ठेका मज़दूर की तरह काम कर रहे, श्री केशव राजपूत को, यूनियन द्वारा सदस्यता दिए जाने से हुई। कंपनी प्रबंधन द्वारा, यूनियन के उस फैसले को, ग़ैर क़ानूनी और असंवैधानिक बताते हुए, ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को, दिनांक 23.08.2022 को लिखा शिकायती पत्र, मौजूदा वक़्त की एक बहुत क्रूर हक़ीक़त का चीखता दस्तावेज़ है "आवेदक श्री केशव राजपूत, 'मैसर्स बेलसोनिका ऑटो कंपोनेंट्स इंडिया प्रा ली' का मज़दूर नहीं है। बेलसोनिका के मज़दूर ही यूनियन के सदस्य बन सकते हैं। श्री केशव राजपूत और बेलसोनिका कंपनी के बीच, 'मालिक-मज़दूर सम्बन्ध' कभी प्रस्थापित हुआ ही नहीं है। श्री केशव राजपूत, बेलसोनिका के नहीं, बल्कि 'मैसर्स एसआरएस लोजिकेयर प्रा. लि.' कांट्रेक्टर कंपनी के कर्मचारी हैं। जिन मज़दूरों के साथ कंपनी का 'मालिक-मज़दूर सम्बन्ध' प्रस्थापित हो चुका है, वे ही यूनियन के सदस्य बन सकते हैं। ठेका मज़दूर यूनियन के सदस्य नहीं बन सकते.. इस यूनियन का चाल-चलन ठीक नहीं है..इसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।"

'स्थायी काम के लिए अस्थायी मज़दूर भर्ती नहीं किए जा सकते', देश के इस क़ानून का क्या हुआ? बेलसोनिका के संविधान विशेषज्ञ, मानव-संसाधन उपाध्यक्ष, मृतुन्जय नाथ साहू ने इस नियम पर प्रकाश क्यों नहीं डाला? केशव राजपूत, 27.07.2015 से, मतलब 8 साल से, बेल्सोनिका कंपनी में काम रहे हैं, उनके बनाए ऑटो पार्ट्स, मारुती को बेचकर, मालिकों ने करोड़ों रुपये कमाए हैं; लेकिन उनके साथ कंपनी का मालिक-मज़दूर सम्बन्ध अभी तक नहीं बना? फिर उनके बीच कौन सा सम्बन्ध है? जिन 3 ठेका मज़दूरों को कंपनी ने बर्खास्त किया है, उनकी कंपनी की सेवा में लगने की तारीखें इस प्रकार हैं; राजकुमार-05.02.2015, केशव कुमार सिंह-08-04.2015 तथा सद्दाम हुसैन-23.08.2016. पूरे 8 साल तक, जिन मज़दूरों से अपने हुक्म पर उत्पादन कराया, उनसे 'मालिक-मज़दूर सम्बन्ध' नहीं था, तो कौन सा सम्बन्ध था?

जब, 'मालिक-मज़दूर सम्बन्ध' स्थापित ही नहीं हुए थे, तो उन्हें काम से कैसे निकाल दिया? किस हैसियत से, प्रबंधन ने उन्हें, उनकी बर्खास्तगी का हुक्म सुनाया? एक और बहुत अहम पहलू क़ाबिल-ए-गौर है, इन तीनों मज़दूरों को उसके बाद बर्खास्त किया गया, जब उनकी सदस्यता के मामले में, यूनियन चंडीगढ़ हाई कोर्ट गई। कंपनी का सन्देश स्पष्ट है; 'अगर हमारी मनमानी को, अदालत में चुनौती देने की जुर्रत करोगे तो काम से निकाल दिये जाओगे'!! ये अदालत की अवमानना नहीं, तो क्या है?

'ठेका प्रथा', मज़दूरों की गुलामी का नया संस्करण है

सत्यवीर सिंह

कुल 47.67 करोड़ श्रमिकों में 94 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में हैं, जो भयंकर शोषण-उत्पीड़न झेलने को विवश हैं। इन्हें, कोई श्रम-अधिकार उपलब्ध नहीं। 6 फीसदी संगठित क्षेत्र वाला हिस्सा भी, लगातार और तेज़ी से सिकुड़ता जा रहा है। 'अग्निवीर' की तर्ज़ पर, फासिस्ट मोदी सरकार, 'बैंक वीर', 'रेल वीर' और हर क़िस्म के विभागीय वीर के नाम पर, सभी पदों पर, ठेका मज़दूर भरने जा रही है। नए-नए शब्दों की लफ्फाज़ी में भाजपा सरकारों का जवाब नही। इस बीमारी का बिलकुल वही इलाज है, जिसकी मिसाल क़ायम करने का साहस, बेलसोनिका यूनियन के बहादुर साथियों ने दिखाया है। भले उसके लिए वे भयंकर दमन और अन्याय झेल रहे हैं।

जहां भी स्थायी मज़दूरों की यूनियनें हैं, वहां काम कर रहे सभी ठेका मज़दूरों को यूनियन सदस्य बनाया जाना चाहिए। इस क़दम का विरोध कर रहे मालिकों, श्रम अधिकारीयों, पुलिस-प्रशासन-सरकारों के फ़तवों के ख़िलाफ़, मज़दूरों ने संयुक्त मोर्चा खोलना चाहिए और देश भर के मज़दूरों को उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। 'मालिक-पुलिस-श्रम विभाग-प्रशासन-सरकार गठजोड़' का मुक़ाबला ही नहीं, उसे शिकस्त देने के लिए, व्यापक एकजुटता और अटूट फौलादी एकता की दरक़ार है। इसी ज़ज़्बे से प्रेरित होकर, 'लखानी मज़दूर संघर्ष समिति' तथा 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' ने बेलसोनिका के संघर्षरत मज़दूरों के समर्थन और एकजुटता में 21 मई को मज़दूर आक्रोश सभा और पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था।

आज की दर्दनाक सच्चाई ये है कि मालिक, या तो यूनियनों से कोई वार्ता करते ही नहीं, उनकी समस्याओं को तो छोड़िए, उनके अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारते। मज़दूरों की लड़ाकू यूनियनें, अगर, श्रम विभाग और जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर, मालिकों को वार्ताएं करने पर मज़बूर भी कर देते हैं, तब भी, सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में, सहमत हुए मुद्दों को लागू नहीं करत। मालिक, श्रम और प्रशासनिक अधिकारीयों के आदेशों को, कौड़ी का महत्व नहीं देते, उन्हें खुलेआम पैरों तले कुचलते हैं। पीड़ा, ये हक़ीक़त जानकर और बढ़ जाती है, जब ये अधिकारी भी, उनके आदेशों के उल्लंघन को गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें कोई अपमान महसूस नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात की शिकायत, अगर उनके उच्च अधिकारीयों से की जाती है, और मज़दूर सड़क पर उतर जाते हैं, तब वे उच्च अधिकारी भी, इस बात को स्वीकारते हैं कि 'वे कुछ नहीं कर सकते!! सरकार ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं!! सरकार के हमें लिखित आदेश हैं कि 'तुम मालिक को जो वह चाहे करने दो'!! मतलब नूरा कुश्ती चल रही है। मज़दूरों के विरुद्ध, 'मालिक-पुलिस-श्रम विभाग-प्रशासन-सरकार गठजोड़' बन चुका है, जो एक गिरोह की तरह काम कर रहा है। बेलसोनिका के मज़दूर मानेसर में, और लखानी के मज़दूर फ़रीदाबाद में बिलकुल इसी गठजोड़ का सामना कर रहे हैं।

बेल्सोनिका के मज़दूर, दिनांक 4 मई से, कंपनी गेट पर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे है। उनकी मांगें हैं:मज़दूर विरोधी 4 लेबर कोड रद्द करो, स्थायी काम पर स्थायी रोज़गार के क़ानूनी प्रावधान को लागू करो, स्थायी कार्य पर लगे सभी ठेका मज़दूरों को स्थायी करो, 17 बरखास्त और 13 निलंबित मज़दूरों को काम पर वापस लो, खुली-छिपी छटनी पर रोक लगाओ। फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों व अनुशासनहीनता के नाम पर श्रमिकों को दिए गए 'आरोप पत्रों' और 'कारण बताओ पत्रों' को रद्द करो, यूनियन के सामूहिक मांग पत्रों का सम्मानजनक समाधान करो, स्थायी काम पर ठेका/ अस्थायी श्रमिकों द्वारा कराए जा रहे कार्य को लेकर बेलसोनिका प्रबंधक के ख़िलाफ़ कार्यवाही की जाए। कंपनी मालिक, उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, कोई बातचीत नहीं कर रहे, बल्कि श्रम विभाग, हरियाणा पुलिस-प्रशासन और हरियाणा सरकार की शह पर, उस अनुशासित और शांतिपूर्वक चल रहे आन्दोलन पर दमनचक्र चलाने और आन्दोलनकारी मज़दूरों को डराने-धमकाने की योजना बनाते नज़र आ रहे है। श्रम विभाग, वस्तुत: अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। मज़दूरों के आक्रोश पर ठंडा पानी डालना है, उन्हें मुगालते में रखना है। शायद, इसीलिए उसे सरकार बंद कर, उसकी इमारतों को सरमाएदारों को नहीं बेच रही। क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा के अध्यक्ष तथा महासचिव कामरेड नरेश और कामरेड सत्यवीर सिंह ने, अपने भाषणों में कहा कि देश भर में, संवैधानिक अधिकारों, श्रम अधिकारों को कुचलने के लिए, 'मालिक-पुलिस-श्रम विभाग-सरकार गठजोड़', एक गिरोह की तरह काम कर रहा है। मज़दूर-विरोधी, संविधान-विरोधी, इस दमनकारी गठजोड़ की कारस्तानियों को, मज़दूर चुपचाप बैठे नहीं देखते रह सकते। असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों, जैसे लेबर चौक और घरेलू महिला कामगारों को संगठित कर, उनके क्रांतिकारी दस्ते बनाना आज के मज़दूर आन्दोलन की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे स्वीकार करने का अहद मोर्चे द्वारा लिया गया।

जनवादी अधिकार और श्रम अधिकार, बहुत कुर्बानियों से हासिल हुए हैं, उन्हें लुटने नहीं दिया जा सकता। साथ ही उन्होंने, बेल्सोनिका के आन्दोलनरत साथियों को अपने संगठन की और से, आखिर तक पूर्ण समर्थन का भरोसा दिलाया। उनके अलावा, 'लखानी मज़दूर संघर्ष समिति' के साथी जयप्रकाश, राजवीर, श्याम सिंह, प्रदीप, ओमप्रकाश, शेर सिंह तथा कई अन्य मज़दूर साथियों ने भी सभा को संबोधित किया।

फरीदाबाद के कई जनवाद-इंसाफ पसंद, जागरूक नागरिकों, जैसे बाबूलाल जी, प्रेम जी, बबलू जी ने उत्साहपूर्वक सभा में शिरक़त की तथा फ़रीदाबाद के मज़दूरों द्वारा, मानेसर के अपने आन्दोलनरत कामरेडों के साथ एकजुटता दिखाने के, उनके ज़ज़्बे की तारीफ़ की। उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह देशभर के मज़दूरों को, एक दूसरे के दर्द को महसूस करते हुए, एकजुटता क़ायम करनी चाहिए, क्योंकि मालिक ही नहीं, बल्कि सरकार भी नियमित मज़दूरों की जगह ठेके पर भर्तियां करती जा रही हैं।

यहाँ तक कि सेना में 'अग्निवीर योजना' भी, युवाओं को उनके मूल इंसानी हक़ों से महरूम करने के लिए लाई गई, ठेका प्रथा का ही नाम है. ज़ोरदार नारों के बीच, 'मालिक-पुलिस-श्रम विभाग-सरकार गठजोड़' रूपी दानव का पुतला भी फूंका गया।

दो हजार नोट की वापसी, मोदी ने थूक कर चाटा

सभी बेहतरीन कामों का श्रेय हड़पने को आतुर रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी दो हजार रुपये के नोट वापस लिए जाने की घोषणा स्वयं करने की हिम्मत नहीं दिखा पाए।

जनता को 8 नवंबर 2016 की रात आठ बजे का समय आज भी याद है जब मोदी ने टीवी पर आकर बड़े ही दंभ से 500 और 1000 रुपये के प्रचलित नोटों को रद्दी का टुकड़ा होने का फरमान सुनाया था। तब मोदी ने बताया था कि पांच सौ और एक हजार रुपये के नोटों को कालाधन के रूप में और टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इस फैसले से कालेधन वालों और आतंकियों की कमर टूट जाएगी। इसके विकल्प में उन्होंने नए पांच सौ और दो हजार रुपये के नोट चलाए थे।

अचानक नोटबंदी से आम जनता को हुई समस्या और बैंकों की लाइन में मौतें होने की घटनाओं के बावजूद गोदी मीडिया मोदी के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक के रूप में प्रचारित करती रही। जल्दबाजी और बिना सोचे समझे लिए गए नोटबंदी के तुगलकी फैसले का नतीजा यह हुआ कि मांग के अनुरूप नए नोटों की आपूर्ति नहीं की जा सकी। इससे आम जनता तो परेशान हुई ही लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग बंदी की कगार पर आ गए और मांग कम होने के कारण भारी उद्योगों में भी मंदी छा गई। मांग कम होने से पूर्ति घटानी पड़ी, पूर्ति कम करने के लिए उत्पादन घटा, उत्पादन घटाने के लिए हजारों लोगों को नौकरी से निकाला गया। नोटबंदी का यही फलीभूत नजर आया कि कालाधन और आतंकी घटनाओं पर तो क्या काबू हुआ लेकिन बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी।

तब भी मोदी के फैसले पर सवाल उठे थे कि अगर एक हजार रुपये के नोट से कालेधन का संग्रह आसान होता है तो दो हजार के नोट से तो और भी ज्यादा सरल हो जाएगा। दूसरे, यदि पांच सौ का नोट चलन में ही रखना था तो पुराना नोट बंद कर नया क्यों चलाया गया। नोटबंदी से कराह उठी जनता ही नहीं अर्थ जगत के दिग्गजों में मोदी के इस फैसले की फजीहत हुई। इधर, चलन से बाहर हुए पांच सौ और एक हजार के लगभग सभी नोट आरबीआई के खजाने में जमा हो गए, तो पता चला कि जितने कालेधन का ढिंढोरा पीटा जा रहा था वह तो निकला ही नहीं।

कांग्रेस की लकीर को छोटा साबित करने के द्वेष में नोटबंदी कर दो हजार रुपये के नोट की बड़ी लकीर खींचने का मोदी का फैसला राष्ट्र के लिए घातक साबित हुआ। सरकार के दावों के विपरीत यह दो हजार का नोट आतंकियों के पास भी मिला, नकली नोट भी पकड़े गए और काले धन के रूप में भी जमा किया गया, यहां तक कि कई भाजपा नेता और विधायकों के घर से भी करोड़ों रुपये बरामद हुए। करीब साढ़े छह साल बाद सरकार को दो हजार रुपये के नोटों की अनुपयोगिता समझ में आई।

अब दो हजार रुपये का नोट बंद तो करना ही था लेकिन साहब ने असफलता का जिम्मा अपने ऊपर न लेकर ठीकरा आरबीआई के सिर फोड़ दिया। इस पूरे प्रकरण में जनता निरीह ही साबित हुई। नोटबंदी के समय में जो गरीब अपने लिए नोट बदलवाने के लिए बैंकों की लाइन में लगते थे अब अपने मालिकों के दो हजार रुपये के नोटों को बदलवाने के लिए बैंकों की लाइन में लग रहे हैं। हां सरकार ने कालाधन के मालिकों को यह सुविधा दे दी है कि वह तीस सितंबर तक अपने लोगों को लाइन में लगवा कर एक बार में बीस हजार रुपये के हिसाब से प्रतिदिन करोड़ों रुपये बदलवा लें।

हालांकि आरबीआई ने नोट बदलने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या पहचान पत्र अनिवार्य नहीं किया है लेकिन बैकों में लोगों का आधार या पहचान पत्र लिए बगैर नोट नहीं बदले जा रहे हैं। पूछे जाने पर कुछ बैंक कर्मियों ने बताया कि सरकार का क्या भरोसा, कल को यह कह दे कि तुमने खुद ही दो हजार रुपये के सारे नोट बदल डाले होंगे।